प्रेषक,

सुधाकर राय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० एक्ट,
कासगंज।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषयः- प्राइवेट एण्ड एक्सटर्नल मोड से एल.एल.एम. पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करने से सम्बन्धित वांछित आख्या।

महोदय,

सादर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में प्राइवेट एण्ड एक्सटर्नल मोड से एल.एल.एम. पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आख्या आहूत की गयी हैः-

1-शिक्षा का माध्यम व सम्बन्धित सर्कुलर।
2-सम्बन्धित विश्वविद्यालय का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्ति प्रपत्र।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है किः-

1- ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा (जरिए अपग्रेड) (यू.जी.सी. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त) संस्थान है, जिसमें एल.एल.एम. की कक्षाएं रेगूलर, परन्तु टैक्नोलॉजिकल इन्टरफेस/ऑनलाईन के माध्यम से संचालित की जायेंगी, जिसमें इण्टरएक्टिव क्लास रविवार को ही होंगी, जिसमें ऑनलाईन उपस्थिति अनिवार्य है, अन्य समस्त क्लासेंस रिकार्डेड माध्यम से ही होंगी, जो कि न्यायालय कार्य के उपरान्त मेरे द्वारा देखी जायेंगी। ऐसे में प्रार्थी द्वारा किये जाने वाले न्यायालय कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ पूर्व में प्रमाणपत्र भी संलग्न किया गया था।
2- पाठयक्रम का शिक्षण वर्ष 2024-25 है, जिसकी कक्षाएं दिनांक 30.09.2024 से प्रारम्भ होनी हैं।
3- उपरोक्त यूनिवर्सिटी की मान्यता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रपत्र प्रार्थनापत्र के साथ पूर्व में ही संलग्न किये गये हैं।
4- माननीय उच्च न्यायालय जम्मू एण्ड कश्मीर के द्वारा अपने स्तर पर उपरोक्त यूनिवर्सिटी से पूछताछ करते हुए अपने न्यायिक अधिकारियों को एल.एल.एम. करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कई राज्यों के न्यायिक अधिकारी भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से एल.एल.एम. कर रहे हैं, जिसके विषय में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

आदर सहित।

भवदीय,

Sudhakar Rai

(सुधाकर राय) 5.9.24
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० एक्ट,
कासगंज।
यू.पी. 6256

दिनांक- 05-09-2024